

3

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/एल-05-05/2024-

/स्वा0, पटना, दिनांक

डा0 रवि भूषण श्रीवास्तव, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, का दिनांक 14 10 88 से 05 01 89 तक की प्रभार रहित अवधि को बिहार सेवा सहिता के नियम-180, 236, उनके अनुरोध एवं साक्ष्य के अभाव में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

2 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापाक

435131

/स्वा0, पटना, दिनांक

25/7/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एव ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: डा0 रवि भूषण श्रीवास्तव, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा -2,7,8,9 एव 10 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

W. M. K. 25/7/25
सरकार के अवर सचिव